GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), and in supersession of this department's notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/12409 dated 08.07.2020, the State Government hereby authorises following officers to compound the offences committed and punishable under sections of the said Act, mentioned in column number 2 and 3 of the Schedule given below, for the amount specified in column number 4 against each of them of the said Schedule:-

(1) Officers of the Transport Department not below the rank of Motor Vehicle Sub-Inspector, for whole of the State;

(2) Officers of Traffic Police and Police not below the rank of Head Constable, for Jaipur and Jodhpur Commissionerate areas;

(3) Officers of Traffic Police and Police not below the rank of Assistant Sub-Inspector, for remaining part of state in their respective areas except Jaipur and Jodhpur Commissionerate areas; and

(4) Officers attached with Mobile Traffic units not below the rank of Head Constable, for whole of the State:

Provided that the officers of the Police and Traffic Police are not authorised to compound the offences committed and punishable under sub-section (1) of sections 182A, sub-section (3) of section 182A, sub-section (4) of section 182A, section 182B, section 192A, sub-section (1) of section 194 (read with sections 113, 114), sub-section (1A) of section 194 and sub-section (2) of section 194.

SCHEDULE

S. No.	**Sections under which the offence committed is to be compounded**	**Offences**	**Amount for which the offence is to be compounded (in Rupees)**
1	2	3	4
1.	177	General provisions for punishment of offences	For first offence- (i) 100/- for Two Wheeler/ e-Rickshaw/ Three Wheeler (ii) 200/- for other than above For subsequent offence- (i) 200/- for Two Wheeler/ e-Rickshaw/ Three Wheeler (ii) 400/- for other than above
2.	178(1)	Travelling without pass or ticket in a stage carriage	100/-

3.	178(2)	Dereliction of duty on the part of Conductor of a stage carriage	500/-
4.	178(3)(a)	Refusal to ply or carry the passengers by the driver of a two-wheeled or three-wheeled contract carriage	50/-
5.	178(3)(b)	Refusal to ply or carry the passengers by the driver of a contract- carriage other than two-wheeled or three-wheeled contract carriage	200/-
6.	179(1)	Disobedience of any direction or obstructs any function by a Driver	500/-
7.	179(2)	Refusal to give information or gives false information	1000/-
8.	180	Allowing Unauthorised person to drive vehicle	5000/-
9.	181	Driving without having a valid license	5000/-
10.	182(1)	Driving a motor vehicle in a public place after disqualification under the Act or applies for or obtains a license without disclosing the endorsement made on a driving license which is previously held	10000/-
11.	182(2)	Act as a Conductor of a stage carriage in a public place after disqualification or applies for or obtains a conductor license without disclosing the endorsement made on a Conductor's license which is previously held	1000/-
12.	182A(1)	Offences relating to sale or delivery or alteration of motor vehicles by dealer, Manufacturer or importer violating chapter VII or rules and regulations made thereunder	1,00,000/- per such vehicle
13.	182A(3)	Offences relating to sale of critical safety component which does not comply with chapter VII or rules and regulations made thereunder	1,00,000/- per such component
14.	182A(4)	Alteration of motor vehicle by owner not permitted under the Act or the Rules and regulations made thereunder	5000/- per such alteration
15.	182 B	Punishment for contravention of section 62 A (Prohibition of registration and issuance of certificate of fitness to over sized	5000/-

		vehicle)	
16.	183(1)(i)	Drives or causes any person to drive LMV with excess speed	For first offence-1000/- For the second or any subsequent offence under this sub-section the driving license of such driver shall be impounded as per the provisions of section 206(4)
17.	183 (1)(ii)	Drives or causes any person to drive a Medium or Heavy Goods or Passenger vehicle with excess speed	For first offence- 2000/- For the second or any subsequent offence under this sub-section the driving license of such driver shall be impounded as per the provisions of section 206(4)
18.	184 (c)	Driving Dangerously (only to the extent to the use of Handheld communication device)	For first offence-1000/- For subsequent offence-10000/-
19.	186	Driving when mentally or physically unfit to drive	For first offence-500/- For subsequent offence-1000/-
20.	189	Racing and trials of speed without the written consent of state government	For first offence-5000/- For subsequent offence-10000/-
21.	190(2)	Drives or causes or allows to be driven, in any public place a motor vehicle, which violates the standards prescribed in relation to road safety, control of noise and air pollution	For first offence- (i) 500/- for Two Wheeled/e-rickshaw/Three Wheeled Motor Vehicles (ii) 1000/- for Non-transport vehicle other than two wheeled and three wheeled Non- transport vehicle (iii) 1500/- for LMV Transport (other than two wheeled/e-rickshaw/three wheeled transport vehicle) (iv) 2000/- for Medium/Heavy Transport vehicles For Subsequent offence- (i) 1000/- for Two Wheeled/ e-rickshaw /Three Wheeled Motor Vehicles (ii) 2000/- for Non -transport vehicle other than two wheeled and three wheeled Non-transport vehicle (iii) 3000/- for LMV Transport (other than two wheeled/e-rickshaw/three wheeled transport vehicle) (iv) 4000/- for Medium/Heavy

			Transport vehicles
22.	192	Using vehicle without registration or fitness:- (i) Two wheeled or three wheeled motor vehicle (ii) Passenger vehicles other than Two wheeled or three wheeled motor vehicle (iii) Agriculture Tractor/ trailer (iv) Goods vehicle	For first offence-2000/- For subsequent offence-5000/- For first offence-5000/- For subsequent offence-10000/- For first offence-2000/- For subsequent offence-5000/- For first offence-5000/- For subsequent offence-10000/-
23.	192 A	Using vehicle without permit or violation of permit conditions	10000/- for HMV 5000/- for LMV/MMV 2000/- for Two Wheeler/Three Wheeler & Stage Carriage Bus plying exclusively on urban routes
24.	194(1)	Driving Vehicle,- (i) exceeding permissible weight in contravention of section 113, 114	5000/- and additional 1000/- per ton of excess load together with the liability to pay charges for off-loading of excess load
		(ii) in contravention of section 115 (driving in prohibited/ restricted area)	5000/-
25.	194(1A)	Driving a motor vehicle carrying over dimension projections	5000/- together with the liability to pay charges for off-loading of such load
26.	194(2)	Refuses to stop and submit his vehicle to weighing after being directed by authority	10000/-
27.	194 A	Carrying excess passenger in transport vehicle	200/- per excess passenger
28.	194 B(1)	Driver or passenger without seat belt	1000/-
29.	194 B(2)	Carrying children below 14 years without safety belt/child restraint system	500/-
30.	194 C	Riding more than two persons on two wheeler	100/-
31.	194 D	Riding without helmets by driver & rider	1000/-
32.	194 E	Not providing way for emergency vehicles (Fire Service or Ambulance)	1000/-
33.	194F(a)	1. Using horn needlessly or continuously 2. Using horn in prohibited area	500/- for Two/Three Wheeler 1000/- for other than above

34.	194F(b)	Release of exhaust gas other than silencer	500/- for Two/Three Wheeler 1000/- for other than above
35.	196	Driving Uninsured vehicle	1000/- for Two/Three Wheeler 2000/- for other than above
36.	198	Unauthorized interference with vehicle	1000/-

[No.F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके अनुसरण में जारी अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/12409 दिनांक 08.07.2020 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक 2 और 3 में वर्णित, उक्त अधिनियम की धाराओं के अधीन कारित और दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए, उनके प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक 4 में विनिर्दिष्ट रकम के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों को इसके द्वारा प्राधिकृत करती है:-

(1) संपूर्ण राज्य में, परिवहन विभाग के अधिकारी जो मोटर यान उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे के न हों;

(2) जयपुर और जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्रों में यातायात पुलिस और पुलिस के अधिकारी जो हैड-कांस्टेबल की रैंक से नीचे के न हों;

(3) जयपुर और जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्रों के सिवाय, राज्य के शेष भाग में उनके क्रमिक क्षेत्रों में यातायात पुलिस और पुलिस के अधिकारी जो सहायक उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे के न हों; और

(4) संपूर्ण राज्य में, मोबाइल यातायात इकाइयों से संलग्न अधिकारी जो हैड-कांस्टेबल की रैंक से नीचे के न हों:

परन्तु पुलिस और यातायात पुलिस के अधिकारी धारा 182क की उप-धारा (1), धारा 182क की उप-धारा (3), धारा 182क की उप-धारा (4), धारा 182ख, धारा 192क, धारा 194 की उप-धारा (1) (सपठित धारा 113, 114), धारा 194 की उप-धारा (1क) और धारा 194 की उप-धारा (2) के अधीन कारित और दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे।

अनुसूची

क्र. सं.	**धाराएं जिनके अधीन कारित अपराध का शमन किया जाना है**	**अपराध**	**रकम जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है (रुपये में)**
1	**2**	**3**	**4**
1.	177	अपराध के दण्ड के लिए साधारण उपबंध	प्रथम अपराध के लिए- (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया के लिए 100/- (ii) उपर्युक्त से भिन्न 200/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए- (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया

			के लिए 200/- (ii) उपर्युक्त से भिन्न 400/-
2.	178(1)	मंजिली गाड़ी में टिकट या पास के बिना यात्रा करना	100/-
3.	178(2)	मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना	500/-
4.	178(3)(क)	दो पहिया या तीन पहिया ठेका गाड़ी के ड्राईवर द्वारा गाड़ी चलाने या यात्रियों को ले जाने से इंकार करना	50/-
5.	178(3)(ख)	दो पहिया या तीन पहिया ठेका गाड़ी से भिन्न ठेका गाड़ी के ड्राईवर द्वारा गाड़ी चलाने या यात्रियों को ले जाने से इंकार करना	200/-
6.	179(1)	ड्राईवर द्वारा किसी निर्देश की अवज्ञा या किसी कृत्य के निर्वहन में बाधा डालना	500/-
7.	179(2)	जानकारी देने से इंकार करना या मिथ्या जानकारी देना।	1000/-
8.	180	अप्राधिकृत व्यक्ति को यान चलाने की अनुज्ञा देना	5000/-
9.	181	विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना यान चलाना	5000/-
10.	182(1)	अधिनियम के अधीन निरर्हता के पश्चात् सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चलाना या पहले से धारित चालन-अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को प्रकट किए बिना अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना या इसे अभिप्राप्त करना	10000/-
11.	182(2)	अधिनियम के अधीन निरर्हता के पश्चात् सार्वजनिक स्थान पर मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर के रूप में कार्य करना या पहले से धारित कण्डक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को प्रकट किए बिना नई कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना या इसे अभिप्राप्त करना	1000/-
12.	182क(1)	व्यवहारी, विनिर्माता या आयातकर्ता	प्रति ऐसे यान के लिए 1,00,000/-

		द्वारा अध्याय 7 या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर मोटर यानों के विक्रय या परिदान या परिवर्तन करने संबंधी अपराध	
13.	182क(3)	नाजुक सुरक्षा संघटक, जो अध्याय 7 या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, का विक्रय करने संबंधी अपराध	प्रति ऐसे संघटक के लिए 1,00,000/-
14.	182क(4)	मोटर यान स्वामी द्वारा यान में परिवर्तन जो अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में अनुज्ञात न हो	प्रति ऐसे परिवर्तन के लिए 5000/-
15.	182ख	धारा 62क के उल्लंघन के लिए दण्ड (आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का प्रतिषेध)	5000/-
16.	183(1)(i)	अत्यधिक गति से हल्का मोटर यान चलाना या किसी अन्य व्यक्ति से चलवाना	प्रथम अपराध के लिए-1000/- इस उप-धारा के अधीन द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे ड्राईवर की चालन-अनुज्ञप्ति धारा 206(4) के उपबंधों के अनुसार परिबद्ध करना
17.	183(1)(ii)	अत्यधिक गति से मध्यम या भारी माल या यात्री यान चलाना या किसी अन्य व्यक्ति से चलवाना	प्रथम अपराध के लिए-2000/- इस उप-धारा के अधीन द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे ड्राईवर की चालन-अनुज्ञप्ति धारा 206(4) के उपबंधों के अनुसार परिबद्ध करनो
18.	184(ग)	खतरनाक तरीके से यान चलाना (हाथ में रखी संसूचना युक्तियों के प्रयोग की सीमा तक)	प्रथम अपराध के लिए-1000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-10000/-
19.	186	यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए भी यान चलाना	प्रथम अपराध के लिए-500/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-1000/-
20.	189	राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी दौड़ और गति के मुकाबले में भाग लेना	प्रथम अपराध के लिए-5000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-10000/-

21.	190(2)	किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाना या चलवाना या चलने देना जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता हो	प्रथम अपराध के लिए- (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया मोटर यान के लिए 500/- (ii) दो पहिया और तीन पहिया गैर-परिवहन यान से भिन्न गैर-परिवहन यान के लिए 1000/- (iii) हल्का परिवहन मोटर यान (दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया परिवहन मोटर यान से भिन्न) के लिए 1500/- (iv) मध्यम/भारी परिवहन यान के लिए 2000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए- (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया मोटर यान के लिए 1000/- (ii) दो पहिया और तीन पहिया गैर-परिवहन यान से भिन्न गैर-परिवहन यान के लिए 2000/-
			(iii) हल्का परिवहन मोटर यान (दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया परिवहन मोटर यान से भिन्न) के लिए 3000/- (iv) मध्यम/भारी परिवहन यान के लिए 4000/-
22.	192	रजिस्ट्रीकरण या यान के ठीक हालत में न होने के प्रमाणपत्र के बिना यान का उपयोग:- (i) दो पहिया या तीन पहिया मोटर यान (ii) दो पहिया या तीन पहिया मोटर यान से भिन्न यात्री यान (iii) कृषि ट्रेक्टर/ट्रेलर	 प्रथम अपराध के लिए-2000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-5000/- प्रथम अपराध के लिए-5000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-10000/- प्रथम अपराध के लिए-2000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-5000/-
		(iv) माल यान	प्रथम अपराध के लिए-5000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-

			10000/-
23.	192 क	परमिट के बिना या परमिट शर्तों के उल्लंघन में यान का उपयोग	भारी मोटर यान के लिए 10000/- हल्का मोटर यान/मध्यम मोटर यान के लिए 5000/- दो पहिया/तीन पहिया और अनन्य रूप से नगरीय मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ी बस के लिए 2000/-
24.	194(1)	(i) धारा 113, 114 के उल्लंघन में अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले	लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए 5000/- और प्रति टन अधिक भार के लिए 1000/- अतिरिक्त
		(ii) धारा 115 के उल्लंघन में (प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्र में) यान को चलाना	5000/-
25.	194(1क)	ऐसा मोटर यान चलाना जिसमें उसकी परिमापगत सीमाओं से बहिर्गत वहन हो	ऐसे भार को उतरवाने के लिए संदेय प्रभारों के दायित्व सहित 5000/-
26.	194(2)	प्राधिकारी द्वारा निदेश दिये जाने के पश्चात् यान को रोकने और भार कराने से इंकार करना	10000/-
27.	194क	परिवहन यान में क्षमता से अधिक यात्री वहन करना	प्रति अधिक सवारी 200/-
28.	194ख(1)	सीट बैल्ट के बिना ड्राईवर या यात्री	1000/-
29.	194ख(2)	सुरक्षा बैल्ट/बाल अवरोध प्रणाली के बिना 14 वर्ष से कम आयु के बालक को ले जाना	500/-
30.	194ग	दो पहिया यान पर दो व्यक्तियों से अधिक सवारी	100/-
31.	194घ	ड्राईवर और सवारी द्वारा हेलमेट के बिना सवारी	1000/-
32.	194ङ	आपातकालीन यानों को अबाध रूप से न गुजरने देना (अग्निशमन सेवा और एम्बुलेंस)	1000/-
33.	194च(क)	1. अनावश्यक रूप से या निरन्तर हॉर्न बजाना 2. प्रतिषिद्ध क्षेत्रों में हॉर्न बजाना	दो पहिया/तीन पहिया के लिए 500/- उपर्युक्त से भिन्न के लिए 1000/-

34.	194च(ख)	नि:शेष गैसों को अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ना	दो पहिया/तीन पहिया के लिए 500/- उपर्युक्त से भिन्न के लिए 1000/-
35.	196	अबीमाकृत यान को चलाना	दो पहिया/तीन पहिया के लिए 1000/- उपर्युक्त से भिन्न के लिए 2000/-
36.	198	यान के साथ अनधिकृत हस्तक्षेप	1000/-

[प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव